न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—712 सन् 2014

बृज किशोर राय वगै0.....................वादी।

बनाम

बुधन राय वगैरह.................................प्रतिवादीगण।

दिनांक— 09.11.2023

प्रतिवादी की ओर से हाजिरी है। वादी अनुपस्थित है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 03 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 09.11..2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के वादी सं0 07 जगदीश राय वल्द स्व0 सुरज राय की मृत्यु दिनांक 06.09.2023 को हो गई है जिनका नाम कलमजद करना आवश्यक है तथा उनके कानूनी वारिसानों का नाम ससमय प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादी सं0 07 जगदीश राय का नाम कलमजद करके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0 07 जगदीश राय थे जिनकी मृत्यु दिनांक 06. 09.2023 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ समय सीमा के अंतर्गत से दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 09.11.2023 न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।